एडवांस एवं माडर्न मेडिकल कालेज के सत्र 2016–17 से प्रवेशित छात्रों के रि–एलोकेशन के उपरांत छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश।

1. छात्र को आवंटन सूची के अनुसार संबंधित नवीन संस्था में स्वयं उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। आवश्यक दस्तावेजों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित है।

2. छात्रों से सत्र 2018–19 का शैक्षणिक शुल्क निम्नानुसार लिया जायेगाः–

   अ. सामान्य श्रेणी के छात्र –पांच लाख रूपये+संस्था का कॉशन मनी

   ब. अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र छात्र जो पूर्व में पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे थे, उन्हें यह लाभ पूर्ववत् दिया जायेगा।

   स. अनिवासी भारतीय छात्रों द्वारा शैक्षणिक शुल्क पुर्नआवंटन पश्चात संस्था में दिनांक 17.09.2018 को प्रचलित दर पर 15 हजार डॉलर के मूल्य के बराबर भारतीय मुद्रा एवं कॉशन मनी 2 हजार डॉलर के मूल्य के बराबर भारतीय मुद्रा देय होगी।

3. किसी कारण से यदि आप पूर्व आवंटित संस्था से मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पाएँ है तो आपको नवीन सस्था में आवेदन पत्र देकर आवंटित संस्था से समय लेना होगा, निर्धारित समयावधि में मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा।

4. एनआरआई कोटा में प्रवेशित छात्रों को अपने एनआरआई (गज़ट 2016–17 में प्रकाशित नियम के अनुसार) होने संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगें। दस्तावेज उपयुक्त न होने पर संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्र को निर्धारित समयावधि में दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगें। छात्र के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये 07 दिवस का समय दिया जाकर कार्यवाही संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथियों में की जा सकेगी।

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के नियम 115–सी मे परिभाषित "अनिवासी भारतीय" :–

INCOME-TAX ACT, 1961*

[43 OF 1961] [AS AMENDED BY FINANCE ACT, 2008]

Definitions.

115C,—

(*e*) "non-resident Indian" means an individual, being a citizen of India or a person of Indian origin who is not a "resident".

Explanation.—A person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents or any of his grand-parents, was born in undivided India;

5. सम्पूर्ण शुल्क का भुगतान ऑनलाईन अथवा आर0 टी0 जी0 एस0/एन0 ई0 एफ0 टी0 एवं डिमांड ड्राफ्ट अथवा मल्टीसिटी चेक द्वारा किया जा सकेगा, जो कि अधिष्ठाता शासकीय स्वाशासी महाविघालय के नाम से देय होगा।

14.09.18

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश